भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 740**
(जिसका उत्तर सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

**थोक और खुदरा मुद्रास्फीति दर**

**740. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में खुदरा और थोक मुद्रास्फीति दर का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति दर उच्च स्तर पर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप अभूतपूर्व मुद्रास्फीति की चपेट में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और
(घ) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने और मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए कोई रणनीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

(क): उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर 2022 में 6.77 प्रतिशत थी और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित थोक मूल्य मुद्रास्फीति की दर 8.39 प्रतिशत थी।

(ख) से (घ): पिछले कुछ वर्षों और चालू वर्ष के लिए खुदरा और थोक मूल्य मुद्रास्फीति दरों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तु कीमतों में बढ़ोतरी और महामारी से प्रभावित आपूर्ति-मांग असंतुलन के कारण भारत सहित दुनिया भर में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने कच्चे तेल, गैस, धातु और खाद्य तेलों (सूरजमुखी) में मुद्रास्फीति के दबावों को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, गर्मी की लहरों शुरुआत और मानसून के मौसम के बाद की असमान वर्षा के कारण फसल को नुकसान हुआ है और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है।

प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की मूल्य स्थिति की सरकार द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है और समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आपूर्ति के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, 21 मई, 2022 को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी, एचएस कोड 1101 के तहत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर रोक, चावल पर निर्यात शुल्क लगाना, दालों पर शुल्क और उपकर, टैरिफ का युक्तिकरण और

खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा लागू करना, प्याज और दालों के लिए बफर स्टॉक का रखरखाव, सोया मील को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में एक आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल करना और सोया मील पर स्टॉक लिमिट लागू करना शामिल हैं।

**अनुबंध**

**डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा पूछे गए दिनांक 12 दिसंबर 2022 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 740 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

**सीपीआई-सी (आधार 2012) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति और थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2011-12) (वर्ष दर वर्ष) (%) पर आधारित थोक मूल्य मुद्रास्फीति**

| वर्ष/माह | खुदरा मुद्रास्फीति दर (%) | थोक मुद्रास्फीति दर (%) |
|---|---|---|
| 2017-18 | 3.59 | 2.96 |
| 2018-19 | 3.41 | 4.26 |
| 2019-20 | 4.77 | 1.68 |
| 2020-21 | 6.16 | 1.29 |
| 2021-22 | 5.51 | 13.00 |
| 2022-23 | | |
| अप्रैल | 7.79 | 15.38 |
| मई | 7.04 | 16.63 |
| जून | 7.01 | 16.23 |
| जुलाई | 6.71 | 14.07 |
| अगस्त | 7.00 | 12.48 |
| सितम्बर | 7.41 | 10.70* |
| अक्तूबर | 6.77* | 8.39* |

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई और डीपीआईआईटी

टिप्पणी: *आंकड़े अनंतिम हैं